न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 397 / 2018

वादी :— शिवकरण पुत्र श्री पुनाराम, जाति जाट, निवासी नेतड़िया, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. भंवराराम पुत्र स्व. श्री पुनाराम
2. घासीराम पुत्र स्व. श्री पुनाराम
3. माधाराम पुत्र स्व. श्री पुनाराम
4. अणदाई पुत्री स्व. श्री पुनाराम
5. शांति पुत्री स्व. श्री पुनाराम
6. चुकादेवी पुत्री स्व. श्री पुनाराम
7. धापूदेवी पुत्री स्व. श्री पुनाराम
8. रूकमाई पुत्री स्व. श्री पुनाराम
9. राधा पुत्री स्व. श्री पुनाराम

   समस्त जातियान जाट, निवासीगण नेतड़िया,

   तहसील मेड़ता जिला नागौर।

10. तहसीलदार, मेड़ता।
11. पटवारी हल्का, नेतड़िया।

<u>दावा बाबत बंटवाड़ा एवं रेकर्ड दुरूस्ती</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 व 88 आर.टी .एक्ट</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक :—30.07.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत बंटवाड़ा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 जाति से हिन्दू है, व हिन्दू

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

विधि की मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 की संयुक्त खातेदारी की जमीन ग्राम नेतड़िया की सरहद में खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 2.09 हैक्टेयर किस्म बा–1, खसरा नम्बर 130 रकबा 1.20 हैक्टेयर किस्म बा–1, खसरा नम्बर 684 रकबा 1.68 हैक्टेयर किस्म बा.उ.ए., खसरा नम्बर 727 रकबा 2.44 हैक्टेयर किस्म बा–2 कुल खसरान 4 कुल रकबा 7.41 हैक्टेयर जमीन आयी हुई है, ट्रेस नक्शा व वर्तमान खतौनी की नकल सम्वत् 2072 से 2075 साथ में संलग्न है। उक्त खसरान का मौके पर तो बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही होने से यह वाद पेश है। मौके पर बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 2 में वर्णितानुसार है। उपरोक्त खसरान की आराजी उपजाऊपन के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण के बंट में कम ज्यादा रखी गई है व उक्त बंटवाड़ा को संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट–क में दर्शाया गया है, संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट–क दावा का एक भाग है। प्रतिवादी संख्या 4 से 9 के हक में उपरोक्त खसरान में कोई बंट नही रखा गया, प्रतिवादी संख्या 4 से 9 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सगी बहने है, जिन्होने से अपने बंट की एवज में शादी, बालूण्डा, मायरा आदि में नगदी राशि व गहना प्राप्त कर लिये है, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में संतुष्टी प्रदान कर दी है। उक्त बंटवाड़ा के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है लेकिन उक्त बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही हुआ होने के कारण उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ सो वाद पेश है। उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार खसरान की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 4 से 9 का नाम राजस्व रेकर्ड में से हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किया जावें, जिस

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

हेतु यह रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 9 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा नेतड़िया की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 खाता संख्या 184, नक्शा ट्रेस की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 10 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित से दिनांक 09.07.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई तथा प्रतिवादी संख्या 11 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से आज दिनांक 30.07.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(1) **वादी शिवकरण के बंट में :–** मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 2.09 हैक्टेयर में से 0.22 हैक्टेयर दक्षिणी–पूर्वी दिशा का भाग, खसरा नम्बर 684 रकबा 1.68 हैक्टेयर में से रकबा 0.42 हैक्टेयर पूर्व दिशा में भंवरूराम के बंट

उपखण्ड अधिकारी
नेछवा (राज.)

Scanned by CamScanner

में आये हिस्से के चिपते ही घासीराम के बंट में आयी जमीन के पूर्व दिशा की तरफ तथा खसरा नम्बर 727 रकबा 2.44 हैक्टेयर में से 1.22 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा की भूमि कुल रकबा 1.86 हैक्टेयर बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(2) **प्रतिवादी संख्या 1 भंवराराम के बंट में** :– मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 684 रकबा 1.68 हैक्टेयर में से रकबा 0.42 हैक्टेयर पूर्वी माठ के सहारे–सहारे, खसरा नम्बर 727 रकबा 2.44 हैक्टेयर में से रकबा 1.22 हैक्टेयर उत्तरी दिशा का हिस्सा कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(3) **प्रतिवादी संख्या 2 घासीराम के बंट में** :– मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 684 रकबा 1.68 हैक्टेयर में से रकबा 0.42 हैक्टेयर शिवकरण के बंट के चिपता ही पश्चिमी तरफ माधाराम के बंट के पूर्वी तरफ, खसरा नम्बर 130 रकबा 1.20 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 129 रकबा 2.09 हैक्टेयर में से 0.44 हैक्टेयर माधुराम के बंट के पश्चिमी दिशा का व शिवकरण के बंट के उत्तरी दिशा की तरफ का हिस्सा कुल रकबा 2.06 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदरी में रहेगी।

6.(4) **प्रतिवादी संख्या 3 माधाराम के बंट में** :– मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 684 रकबा 1.68 हैक्टेयर में से रकबा 0.42 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा घासीराम के बंट के पश्चिमी तरफ वाला, खसरा नम्बर 129 रकबा 2.09 हैक्टेयर में से 1.43 हैक्टेयर पूर्वी दिशा का शिवकरण व घासीराम के बंट के पूर्वी तरफ वाला हिस्सा की भूमि कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

7. प्रतिवादी संख्या 4 से 9 ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि तर्क की है। अतः तर्कनामे की स्टाम्प ड्यूटी एवं बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। दावे के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner